बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 147937 पटना, दिनांक 14-05-2013

ग्रा.वि.-7(आ0)-06/2013 (खंड)

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय:- **मनरेगा के अन्तर्गत पंचायत समितियों की भूमिका के संदर्भ में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मनरेगा अधिनियम की धारा 13(3) में पंचायत समिति की निम्नवत् भूमिका है:-

(क) अंतिम अनुमोदन के लिए जिला स्तर पर जिला पंचायत को भेजने के लिए ब्लॉक योजना का अनुमोदन करना ।

(ख) ग्राम पंचायत स्तर और ब्लॉक स्तर पर कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण करना ।

(ग) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो राज्य रोजगार गारंटी परिषद् द्वारा समय-समय पर उसे समनुदेशित किए जाऐं ।

2. मनरेगा मार्गदर्शिका के चतुर्थ संस्करण के कंडिका 2.2.2 में पंचायत समिति की भूमिका से संबंधित उद्धरण निम्नवत है:-

I. ब्लॉक स्तरीय योजना को अनुमोदित करना ताकि इसे अंतिम अनुमोदन के लिए जिला स्तर पर जिला पंचायत को भेजा जा सके ।

II. ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर शुरू की गयी परियोजनाओं का पर्यवेक्षण एवं निगरानी करना ।

III. राज्य परिषद् द्वारा समय-समय पर सौंपे गए इसी प्रकार के अन्य कार्यो को क्रियान्वित करना ।

3. उपरोक्त का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रखंड स्तर पर मनरेगा अधिनियम के अन्तर्गत योजनाओं के सूत्रण, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण की जिम्मेदारी पंचायत समिति की है ।

4. पंचायत समिति अधिनियम में वर्णित दायित्व का प्रभावी निर्वहन करें, यह अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नितांत आवश्यक है ।

5. तदनुसार निम्नवत् विशिष्ट कार्रवाई सुनिश्चित की जाए:-

(i) मनरेगा के अनुश्रवण के लिए पंचायत समिति अपनी सामान्य बैठकों में विचार-विमर्श करेंगी । वर्ष 2012-13 की प्रगति की समीक्षा के लिए मई माह में अनिवार्य रूप से पंचायत समितियों की विशेष बैठक आयोजित करवायी जाए । उसके बाद न्यूनतम त्रैमासिक स्तर पर मनरेगा की समीक्षा पंचायत समितियों द्वारा अवश्य की जाय ।

(ii) पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी मनरेगा के अन्तर्गत प्रखंड क्षेत्र में विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा क्रियान्वित हो रही योजनाओं का निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण के फलाफल से पंचायत समिति को तथा जिला कार्यक्रम समन्वयक को अवगत कराऐंगे तथा आवश्यकतानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई के लिए कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचित करेंगे ।

(iii) प्रखंड क्षेत्र के अन्तर्गत अधिनियम का कार्यान्वयन मार्गनिर्देशिका के प्रावधानों के आलोक में सुनिश्चित कराने के लिए प्रभावी कदम उठायें जाय ।

विश्वासभाजन

14.5.12

(अमृत लाल मीणा)

सचिव

Pr.125